कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/अपील/प्रेमचंद/2905/2019 दिनांक 25.10.2019 द्वारा श्री दिलीप कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपला भरत सिंह जिला जयपुर को माननीय अधिकरण के अंतरिम निर्णय के अध्यधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खादीन जिला बाड़मेर में समायोजन किया गया था जिसके विरूद्ध श्री दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4546/2019 दिलीप कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4546/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा अपीलर्थी दिलीप कुमार गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने एवं तब तक अपीलार्थी के कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय की पारिवारिक परेशानियों के मध्यनजर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह करते हुए अपना समायोजन राउमावि बवायचा, अजमेर/राउमावि आमली, टोंक/राउमावि गोठाड़ा, सवाई माधोपुर/राउमावि भुणास भीलवाड़ा/राउमावि कांकोलिया, भीलवाड़ा/राउमावि अमरपुरा, चितौड़गढ या जयपुर जिले में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलर्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। संबंधित सूचित हो।

23/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/दिलीप/अपील/4546/2019 दिनांक 23/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Scanned by CamScanner

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर / जयपुर संभाग, जोधपुर / जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर / बाड़मेर।
5. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री दिलीप कुमार गुप्ता के समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर / बाड़मेर।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार गुप्ता को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner